

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक एफ.4(12)वित्त/राजस्व/2016

दिनांक 28.05.2019


आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा और भविष्य निधि सेवा नियम, 1959 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2018-19 की बैठक दिनांक 04.02.2019 की अभिशंषा पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में स्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित पर्यवेक्षकों को वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में सहायक निदेशक के पद पर पे-मेट्रिक्स के लेवल -14 में कार्यभार संभालने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	अजा/अजजा	विशेष विवरण
1.	श्री फरेबीलाल मीणा	अजजा	एडहोक से नियमित
2.	श्री नत्थी सिंह मीणा	अजजा	


पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se Seniority) यथावत रहेगी ।
पदोन्नति पर सभी परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे ।

उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं ।

आज्ञा से,

(वीर प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त ।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.5 (517)डीपीसी/2018-19/623 दिनांक 27.03.2019 के क्रम में ।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर) वित्त विभाग ।
9. संबंधित अधिकारी ।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव